PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Tuesday 12th November 2013, Page: 4
Width: 25.95 cms, Height: 14.90 cms, a4r, Ref: pmin.2013-11-12.54.45

महंगा पड़ रहा भारतीय मरीजों को दवा परीक्षण

रंजीता विश्वास

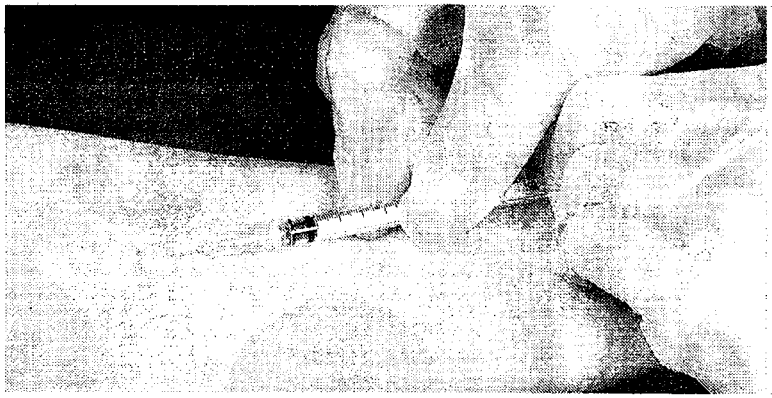

चिंता जनक

सरकार ने माना कि 2005 से 2012 के दरम्यान 475 दवाओं के परीक्षण की वजह से 2,644 मरीजों की मौत हुई। दरअसल हमारे देश में इस प्रकार की मौतों की वास्तविक वजह इन कारणों से भी सामने नहीं आ पाती कि मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं किया जाता है

भारत में गरीब मरीजों पर दवा परीक्षण अब गंभीर मसला बनता जा रहा है। हाल के वर्षों के आंकड़े बताते हैं दवा परीक्षण (जिसे क्लीनिकल ट्रायल के नाम से ज्यादा जाना जाता है।) के कारण 2,500 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े खुद सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं। हाल ही एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में सरकार ने माना कि 2005 से 2012 के दरम्यान 475 दवाओं के परीक्षण की वजह से 2,644 मरीजों की मौत हुई। ये आंकड़े देश की जनता के सामने तब सामने आए जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्था स्वास्थ्य अधिकार मंच ने सरकार के दावों को चुनौती दी थी। दरअसल हमारे देश में इस प्रकार की मौतों की वास्तविक वजह इन कारणों से भी सामने नहीं आ पाती कि मौत के बाद न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाता है न ही निर्धन वर्ग के मरीज के परिजन इस हैसियत में होते कि इस मामले में दवा कंपनियों या डॉक्टरों को अदालत में घसीट सकें। हलफनामे से चौंकाने वाला यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि दवा परीक्षणों का 11,972 मरीजों पर जबरदस्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये आंकड़े इस बात की ताकीद करते हैं कि अब समय आ गया है कि देश में इन दवा परीक्षणों को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं। दरअसल भारत बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के लिए पिछले कुछ बरसों से 'हब ऑफ क्लीनिकल ट्रायल फॉर ड्रग्स' बन चुका है। इसके लिए वे देश के निर्धन या निम्न मध्य वर्ग के मरीजों का चयन करते हैं और परीक्षण के बारे में उनको कोई जानकारी भी नहीं दी जाती, न ही कोई नियम-कायदे अपनाए जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत कुछ गैर सरकारी संगठनों की सक्रियता के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस साल फरवरी में 'सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन' (सिडस्को) के तहत छह सदस्यीय विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। इस समिति में अपनी सिफारिश की कि इस प्रकार के परीक्षण सिर्फ मान्यता प्राप्त केंद्रों पर ही किए जाने चाहिए। समिति ने यहां तक भी कहा कि ऐसे केंद्रों के मुख्य जांचकर्ता और नैतिक मापदंड बनाने वाली समिति तक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

इन सबके साथ समिति के निर्देशों में मुआवजा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2010-2012 के मध्य ड्रग कंट्रोलर जनरल ने 1,065 लोगों पर दवा परीक्षण की अनुमति दी। संगठनों का कहना है कि ऐसे समय में लोगों की गरीबी,निरक्षरता और अज्ञानता तथा उदासीनता के कारण दवा कंपनियां,बिचौलिए और यहां तक कि अनेक डाक्टर्स तक मुआवजा देने के वक्त चुप्पी साध लेते हैं। समिति के मुताबिक मुआवजा केवल मृत्यु के मामले में ही नहीं बनता है बल्कि दवा परीक्षण के दौरान मरीज के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर पड़ता है,वो विकलांग हो जाता है तो भी वह या उसका परिजन या आश्रित मुआवजे का हकदार है। हालांकि मुआवजे की मूल राशि और अन्य खर्चों के बारे में अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ है। भारत के संघीय ढांचे में लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा केंद्रीय और राज्यों सरकरों का दायित्व है। इंदौर स्थित गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य अधिकार मंच ने जनवरी 2012 में भारत में दवा परीक्षणों के मामलों में पारदर्शिता बरतने के मुद्दे पर अदालत में एक याचिका भी दायर की। मोर्चा का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक अपराध शाखा ने 2006-2010 के मध्य हुए दवा परीक्षणों के संदर्भ में 36 मौतों का पता लगाया। उधर,मानव अधिकार आयोग ने इस बात का खुलासा किया है कि 2011 में वक्ष कैंसर का पता लगाने के नाम पर अनेक महिलाओं पर अवैध रूप से दवा परीक्षण किया गया।

2006 में एम्स्टर्डम स्थित डब्ल्यूईएमओएस नामक एक स्वास्थ्य संगठन तथा सेंटर फॉर रिसर्च ऑन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने दुनिया भर में अनैतिक और अवैध रूप से रहे दवा परीक्षण से संबंधित 22 तथ्यों का पता लगाया था इनमें से 8 मुख्य तथ्य भारत में मुख्य रूप से पाए गए। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में जितने भी दवा परीक्षण होते हैं,उनमें आधे से ज्यादा विदेशी दवा कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। शेष क्लीनिकल रिसर्च संस्थाओं तथा देशी कंपनियों द्वारा किये जाते हैं। मोर्चा अब एक ऐसी याचिका भी दायर करने जा रहा है जिसमें मांग की गई है देश भर में जहां कहीं भी,किसी पर भी दवा परीक्षण हो,उससे पूर्व मरीज को इस बात की जानकारी देकर उससे सहमति को अनिवार्य बनाया जाए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनैतिक रूप से लाभ लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में बरती जाने वाली लापरवाहियों और उदासीनता का हाल यह है कि इस बारे में समिति ने जो निर्देश जारी किए हैं,वे अंग्रेजी में हैं और उनका हिंद अनुवाद महज एक पन्ने में समेट लिया गया। इसी संदर्भ में यह भी गौरतलब है कि इस बारे में में विनियमनों के अभाव में अनेक भारतीय कंपनियों को मलेशिया,चीन और सिंगापुर जैसे देशों से भी संचालित किया जा रहा है। समझा जा सकता है ऐसे में इन कंपनियों के खिलाफ भारतीय कानूनों के तहत कितनी प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। प्रसंगवश यह बताना भी उचित होगा कि अब इस प्रकार के संगठन यह आवाज भी उठा रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जिस दवा का परीक्षण भारत में भारतीय मरीजों पर किया जाता है उसका लाभ उस देश के वासियों को भी मिलना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि विदेशी कंपनियां परीक्षण तो भारतीय मरीजों पर करती हैं लेकिन सफलता के बाद वे अपनी दवा की कीमतें इतनी महंगी रखती हैं कि आम भारतीय की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 162 नए ड्रग्स के परीक्षण पर 16 दिसम्बर तक प्रतिबंध लगा दिया है। **(एशिया टाइम्स से साभार)**

Clinical trials.